

फॉर्म ए

सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु व्यक्तियों के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन

फॉर्म भरने के निर्देश -

1. कृपया इस फॉर्म को भरने से पहले पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसमें हुए संशोधनों को ध्यान से देखें।
2. कृपया फॉर्म को सुपाठ्य लिखावट में भरें ताकि आपके आवेदन की प्रक्रिया में कोई त्रुटि न हो। कृपया उपरिलेखन (ओवरराइट) न करें। सुधार रद्द करके और पुनः लिखकर किए जाने चाहिए और ऐसे सुधारों पर आवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. आवेदकों को इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के साथ उचित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित एक पूरा आवेदन पत्र पीएफआरडीए के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में को जमा करना होगा।
4. किसी भी दृष्टि से अपूर्ण और/या आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

1. आवेदक का सामान्य विवरण

आवेदन का प्रकार (जो भी लागू हो उस पर (✓) निशान लगाएं)

नया आवेदन	हाँ	नहीं	नवीनीकरण आवेदन*	हाँ	नहीं
-----------	-----	------	-----------------	-----	------

*आवेदन के नवीनीकरण के मामले में, अतिरिक्त जानकारी या यदि मौजूदा जानकारी में कोई बदलाव है, तो सहायक दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है।

1.1. आवेदक का विवरण

आवेदक का नाम	
पैन संख्या	
आधार संख्या	
आवेदक जीएसटी के तहत पंजीकृत है	हाँ/नहीं यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें
सिबिल स्कोर (700 से कम नहीं, आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं)	
संपर्क का पता /व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्थायी पता (यदि भिन्न हो)
पता:	पता:
मोबाईल सं.	
टेलीफोन	
फैक्स सं.	

ई-मेल पता	
वेबसाइट (यदि कोई हो):	

1.2. आवेदक के स्नातक होने के विवरण। (स्नातक अंकपत्र एवं डिग्री की प्रति संलग्न करें)

पाठ्यक्रम का नाम	संस्था का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय

1.3. आवेदक की व्यावसायिक योग्यता के विवरण, यदि आवेदक सेबी निवेश सलाहकार (आईए), वकील/सॉलिसिटर, या चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), या लागत लेखाकार (सीएमए), या कंपनी सचिव (सीएस) और बीमांकक (एक्चुअरी) है। (संगत योग्यता दस्तावेज संलग्न करें)

विवरण	सेबी (आईए)	वकील/ सॉलिसिटर	सीए	सीएमए	सीएस	एक्चुअरी
पंजीकरण/सदस्यता संख्या						
जारी करने/पंजीकरण की तिथि						
समाप्ति तिथि, यदि कोई हो						

1.4. वित्तीय उत्पादों, प्रतिभूतियों, फंड, परिसंपत्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन में सलाह के प्रावधान से संबंधित गतिविधियों में कम से कम तीन (3) वर्षों (बीमा एजेंसी लाइसेंस, म्यूचुअल फंड-एआरएन, स्टॉक ब्रोकर, सेवानिवृत्ति सलाहकार, निवेश सलाहकार आदि) का योग्यता-पश्चात अनुभव का विवरण। (संगत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अनुभव का विस्तृत विवरण	अनुभव के वर्षों की संख्या

1.5 राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) द्वारा जारी सेवानिवृत्ति सलाहकार के प्रमाणन के विवरण [बिंदु 1.3 के तहत उल्लिखित योग्यता रखने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है]

विवरण	एनआईएसएम (से. स.)
प्रमाण पत्र संख्या	
जारी किए जाने की तारीख	
प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि	

1.6. मौजूदा ग्राहक आधार के साथ विस्तृत प्रस्तावित व्यवसाय योजना (चालू वित्त वर्ष और अगले 2 वित्त वर्ष में खोले जाने वाले अपेक्षित एनपीएस खातों की संख्या)

मौजूदा ग्राहक आधार:

वित्तीय वर्ष	एनपीएस खाते खोले जाएंगे	व्यवसाय योजना का आधार
चालू वित्तीय वर्ष		
20__ -20__		
20__ -20__		

***आवेदन के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त जानकारी**

1.7. आवेदन के नवीनीकरण के मामले में भरे जाने वाले विवरण।

सेवानिवृत्ति सलाहकार पंजीकरण संख्या	
पंजीकरण की समाप्ति तिथि का प्रमाणपत्र	
अब तक प्राप्त एनपीएस खातों की संख्या	
एनआईएसएम प्रमाणपत्र की वैधता (प्रतिलिपि संलग्न)	
आवेदक की मौजूदा गतिविधियों पर लिखें <i>(नवीनीकरण आवेदन के लिए, मौजूदा सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं का विवरण प्रदान करें जिसमें ग्राहकों की संख्या और प्रकार, सलाह के तहत संपत्ति, राजस्व, लाभप्रदता, उत्पाद/सेवानिवृत्ति उत्पाद जिन पर सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान की गई थी, आदि शामिल हैं)</i>	

2. घोषणाएं/ संलग्नक

निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति नीचे दिए गए क्रम के अनुसार एक अग्रेशन शीट में आवश्यक विवरण के साथ प्रस्ताव के साथ जमा की जानी चाहिए। प्रस्ताव के सभी पृष्ठों और पैराग्राफों को क्रमांकित किया जाना चाहिए और सभी कागजात उचित रूप से एक साथ बंधे होने चाहिए। प्रस्ताव के विभिन्न खंडों के संबंध में पृष्ठ संख्या आदि का विवरण देते हुए एक उचित अनुक्रमणिका तैयार किया जाना चाहिए।	
अनिवार्य संलग्नक	
1.1. पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्नातक प्रमाणपत्र, योग्यता के बाद के अनुभव के दस्तावेज, एनआईएसएम/सेबी-निवेश सलाहकार (पंजीकरण का प्रमाण पत्र), वकील/ सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव और बीमांकक की व्यावसायिक योग्यता का समर्थन करने वाले दस्तावेज।	हां/नहीं
1.2. आवेदक द्वारा एक घोषणा कि आवेदक के पास सेवानिवृत्ति सलाहकार की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है।	हां/नहीं
1.3. सिबिल से क्रेडिट रिपोर्ट (700 से अधिक का स्कोर, 6 महीने से अधिक पुराना नहीं)।	हां/नहीं
1.4. आवेदक द्वारा एक स्व-घोषणा कि आवेदक के पास ठीक पिछली तिमाही के अंतिम दिन तक न्यूनतम एक लाख रुपये की शुद्ध संपत्ति है।	हां/नहीं
1.5. आवेदक द्वारा एक स्व-घोषणा कि आवेदक हमेशा पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' मानदंड और विनियम 7 के तहत योग्यता और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करेगा।	हां/नहीं
1.6. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो	हां/नहीं
अतिरिक्त संलग्नक, यदि लागू हो	
1.7. पंजीकरण का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक किसी भी क्षमता में सेबी/आईआरडीआई या पीएफआईआरडीआई	हां/नहीं

के साथ पंजीकृत है	यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें
1.8. यदि आवेदक इन विनियमों के तहत आवेदन करने से पहले सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं में लगा हुआ है तो उसका विवरण.	हां/नहीं यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें
1.9. आवेदक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए किए गए किसी भी पिछले आवेदन का विवरण प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है	हां/नहीं यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें
1.10. आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के लिए प्रासंगिक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी।	हां/नहीं यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें

सेवानिवृत्ति सलाहकार आवेदक द्वारा उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए वचनबद्धता
(आवेदक के लेटर हेड पर विधिवत मुहर लगाकर और हस्ताक्षर करके जमा करना होगा)
{संदर्भ: पंजी. 6}

अनुसूची V

प्रति,

पीएफआरडीए

नई दिल्ली

मैं/हम, मैसर्स <.....> इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं/हम, हमारे निदेशक/साझेदार, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं:

- (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
- (ख) दोषसिद्धि या नागरिक देनदारियों का न होना;
- (ग) सक्षमता;
- (घ) उत्तम प्रतिष्ठा और चरित्र
- (ङ) दक्षता और ईमानदारी; और
- (च) वित्तीय विलेयता और शुद्ध मालियत (नेट वर्थ) .

इसके अलावा, पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 की अनुसूची V और उसके संशोधनों के अनुसार, मैं/हम इस संबंध में निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- (i) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के तहत आपराधिक शिकायत या सूचना मुझे/हमें या हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा दायर **नहीं** की गई है और **न ही** लंबित है;
- (ii) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी भी प्रवर्तन अभिकरण द्वारा मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध आरोप पत्र दायर **नहीं** किया गया है और **न ही** लंबित है;
- (iii) प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय बाजारों या बीमा कानून से संबंधित किसी भी मामले में प्राधिकरण या किसी अन्य वित्तीय विनियामक या प्रवर्तन अभिकरण द्वारा मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध प्रतिबंध, निषेध या प्रतिबंध का कोई आदेश पारित **नहीं** किया गया है और ऐसा कोई आदेश लागू **नहीं** है;
- (iv) प्राधिकरण द्वारा मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही शुरू **नहीं** की गई है और लंबित भी **नहीं** है;
- (v) मैं/हम, हमारे निदेशक/साझेदार, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक को किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता या आर्थिक अपराध या धोखाधड़ी से जुड़े किसी भी अपराध के लिए किसी सज़ा का आदेश पारित **नहीं** किया गया है;

- (vi) मेरे/हमारे विरुद्ध समापन की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या समापन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है;
- (vii) न तो मुझे/हम, हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक को दिवालिया घोषित किया गया है और न ही उन्मोचन किया गया है;
- (viii) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कर्मियों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय अदालत द्वारा विकृत मस्तिष्क का नहीं पाया गया है और ऐसा कोई भी निर्णय लागू नहीं है;
- (ix) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है;
- (x) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है;

उपरोक्त जानकारी पीएफआरडीए को पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके तहत संशोधन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण के लिए प्रदान की गई है। इसके अलावा, मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम, हमारे निदेशक/साझेदार, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक हर समय पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, उसके तहत अधिसूचित नियमों और विनियमों के साथ उनके संशोधनों और एनपीएस के संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी निर्देश/निदेश/दिशानिर्देश और परिपत्रों से बंधे रहेंगे।

की ओर से (आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर	
आवेदक की मुहर/मुद्रांक	
स्थान	
दिनांक (दिन/माह/वर्ष)	

*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें।

शुद्ध मूर्त आस्तियों के लिए घोषणा
{पंजी. 6(2)(सी) देखें}

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं, [आवेदक का नाम], एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मेरे पास पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) के विनियमन 2016 और उसके बाद के संशोधन में उल्लिखित विनियम 6(2)(ग) में, निर्धारित आवश्यकता के अनुसार, ठीक पिछली तिमाही के अंतिम दिन तक न्यूनतम एक लाख रुपये की मूर्त शुद्ध आस्ति है।

आवेदक का नाम	
आवेदक के हस्ताक्षर	
स्थान	
दिनांक (दिन/माह/वर्ष)	

घोषणा

इस घोषणा पर आवेदक को हस्ताक्षर करना होगा:

1. मैं एतद्वारा सहमत हूँ और घोषणा करता हूँ कि संलग्नक शीट सहित आवेदन में दी गई जानकारी पूर्ण और सत्य है। और
2. मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि आवेदन में दी गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन के सात (7) दिनों के भीतर मैं प्राधिकरण को तुरंत सूचित करूंगा।
3. मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले कोई भी दिशानिर्देशों, परिपत्र, अधिसूचनाओं, निदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करूंगा और उनसे बंधा रहूंगा।
4. मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पंजीकरण की शर्त के रूप में, मैं ऐसे परिचालन अनुदेशों/निर्देशों का पालन करूंगा जो कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किया जा सकते हैं।
5. मैं एक सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में गतिविधियों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए सहमत हूँ और घोषणा करता हूँ।
6. मैं इस बात से सहमत हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं उन अंतर्निहित उत्पादों या प्रतिभूतियों के संबंध में, जिनके लिए ग्राहक को सलाह दी गई है, ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से पारिश्रमिक या मुआवजे या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करूंगा।
7. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं हमेशा विनियम 7 के तहत योग्यता और अन्य आवश्यकताओं और पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करूंगा।
8. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि मैं/हम हमेशा तीसरी अनुसूची पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसमें संशोधन में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम)

स्थान:

दिनांक:

सामान्य जानकारी

शुल्क (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 [विनियम 9]

1. प्रत्येक व्यक्तिगत आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ रुपये 500/- (केवल पांच सौ रुपये) का, उस पर लागू करों और शुल्कों के साथ गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
2. आवेदक जो व्यक्तिगत हैं उन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के समय पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क के रूप में लागू करों और लेवी के साथ रुपये.1000/- (केवल एक हजार रुपये) की राशि का भुगतान करना होगा।
3. बिंदु 2 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण' के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन मोड द्वारा किया जाएगा या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।
4. इस अनुसूची के तहत शुल्क की मात्रा को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उपयुक्त परिपत्र, निर्देश या अधिसूचनाएँ जारी करके सशोधित किया जा सकता है। आवेदक को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

FORM A

Application for grant of certificate for Registration/Renewal as Retirement adviser for Individuals

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP FORM –

1. Please refer the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 and amendments thereon, carefully before filling this form.
2. Please fill the form in legible handwriting so as to avoid errors in your application processing. Please do not overwrite. Corrections should be made by cancelling and re- writing and such corrections should be countersigned by the applicant.
3. Applicants must submit a completed application form duly signed together with appropriate supporting documents with self -certification, accompanied by an application fee as specified in the Second Schedule to these regulations, to the PFRDA at its head office at New Delhi.
4. Applications incomplete in any respect and/or not accompanied by required documents are liable to be rejected.

1. General details of the applicant

Type of application [Tick (✓), whichever is applicable]

New Application	Yes	No	Renewal Application*	Yes	No
------------------------	------------	-----------	-----------------------------	------------	-----------

**In case of renewal of application, additional information or if there is any change in the existing information may be submitted, along with the supporting documents*

1.1. Applicant Details

Name of the Applicant	
PAN no	
Aadhar No	
Applicant registered under GST	Yes/No
	If yes, provide details
CIBIL Score (Not below 700, not older than 6 months from the date of application)	
Address for Communication/ Principal Place of Business	Permanent Address (if different)
Address:	Address:
Mobile no.	
Telephone	
Fax No.	
E-mail Address	
Website (if any):	

1.2. Details of graduation of the applicant. (Attach copy of graduation marks-sheet and degree)

Name of the Course	Name of the Institution	Affiliated University

1.3. Details of Professional Qualification of the applicant, if the applicant is a SEBI Investment Adviser (IA), Advocate/Solicitor, or Chartered Accountant (CA), or Cost Accountant (CMA), or Company Secretary (CS) and Actuary. (Attach relevant qualification documents)

Details	SEBI (IA)	Advocate/ Solicitor	CA	CMA	CS	Actuary
Registration/Membership Number						
Date of Issue/registration						
Date of Expiry, if any						

1.4. Details of Post Qualification Experience of at least three (3) years (Insurance agency license, Mutual Fund-ARN, Stock Broker, Retirement Adviser, Investment Adviser etc) in activities relating to provision of advice in financial products, securities, fund, asset or portfolio management. (Attach relevant experience certificate)

Detailed description of Experience	Number of years of experience

1.5. Details of the certification of Retirement Adviser issued by National Institute of Securities Markets (NISM) [not compulsory for individual possessing qualification as mentioned under point 1.3]

Details	NISM (RA)
Certificate number	
Date of Issue	
Expiry date of certificate	

1.6. Detailed proposed business plan (number of expected NPS accounts to be opened in current FY and next 2 FYs) along with existing client base

The existing client base:

FY	NPS accounts to be opened	Basis for business plan
Current FY		
20__ -20__		
20__ -20__		

***Additional Information for renewal of application**

1.7. Details to be filled in case of renewal of application.

Retirement Adviser registration number	
Certificate of registration expiry date	
Number of NPS accounts sourced till date	
Validity of NISM Certificate (copy enclosed)	
<p>Writeup on the existing activities of the applicant <i>(For renewal application, provide details of existing retirement advisory services including number and type of subscribers, assets under advice, revenue, profitability, products/ retirement products on which retirement advice was provided, etc.)</i></p>	

2. Declarations / Enclosures

<p>The self-attested copy of the following documents should be submitted along with the proposal with required details in a forwarding sheet as per the order given below. All pages and paragraphs of the proposal should be numbered and all the papers should be properly bound together. A proper index should be prepared giving the details of page numbers etc. in respect of the different sections of the proposal.</p>	
Mandatory Enclosures	
1.1. PAN card, Aadhar card, Graduation Certificate, Post qualification experience documents, NISM/SEBI – Investment Adviser (Certificate of registration), documents supporting professional qualifications of advocate/solicitor, Chartered Accountant, Cost Accountant, Company Secretary and Actuary.	Yes/No
1.2. A Declaration by the applicant that the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of a Retirement Adviser.	Yes/No
1.3. Credit report (score of more than 700, not older than 6 months) from CIBIL	Yes/No
1.4. A Self - Declaration by the applicant that the applicant possesses a minimum of net assets of rupees one lakh, as on the last day of immediately preceding quarter	Yes/No
1.5. A Self - Declaration by the applicant that the applicant shall always ensure to fulfil qualification and other requirements under regulation 7 and 'Fit and proper person' criteria as specified in Fifth Schedule	Yes/No
1.6. GST Registration Certificate, if any	Yes/No
Additional Enclosures, if applicable	
1.7. Certificate of registration, if applicant is registered with SEBI/IRDAI or PFRDA in any	Yes /No

capacity	If Yes, provide the details
1.8. Details of the applicant if engaged in retirement advisory services prior to making application under these regulations.	Yes/No
	If Yes, provide the details
1.9. Details of any previous application for grant of certificate made by any person directly or indirectly connected with the applicant has been rejected by the Authority	Yes/No
	If Yes, provide the details
1.10. Any other information considered relevant to the nature of services to be rendered by the applicant.	Yes/No
	If Yes, provide the details

UNDERTAKING FOR FIT AND PROPER PERSON BY RETIREMENT ADVISER APPLICANT

(To be submitted on the letter head of the applicant duly stamped and signed)

**{Refer: Reg 6}
Schedule V**

To,

**PFRDA
New Delhi**

I/ We, M/s. <.....> hereby declare that I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel are 'fit and proper person' including but not limited to the following criteria:

- (a) financial integrity;
- (b) absence of convictions or civil liabilities;
- (c) competence;
- (d) good reputation and character;
- (e) efficiency and honesty; and
- (f) financial solvency and net worth.

Further, as per Schedule V of the PFRDA (Retirement Advisers) Regulations, 2016 and amendments thereof, I/ We confirm the following in this regard:

- (i) No criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel by the Authority and which is pending;
- (ii) No charge sheet has been filed against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
- (iii) **No** order of restraint, prohibition or debarment has been passed against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel by the Authority or any other financial regulator or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets or insurance law and such order is in force;
- (iv) **No** recovery proceedings have been initiated by the Authority against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel and are pending;
- (v) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have **not** been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or involving economic offences or fraud;
- (vi) **No** winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against me/us;
- (vii) **Neither** I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have been declared insolvent and not discharged;
- (viii) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have **not** been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (ix) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have **not** been categorized as a willful defaulter;
- (x) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have **not** been declared a fugitive economic offender;

The above information is provided to PFRDA for registration as Retirement Adviser under the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 and amendments thereunder. Further, I/We declare that I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel shall be bound at all times by the provisions of the PFRDA Act, 2013, the rules and regulations notified thereunder, along with amendments thereof and all instructions/directions/guidelines and circulars that may be issued from time to time by the Authority in relation to NPS.

For on behalf of (Name of the applicant)

Name of the Authorised Signatory	
Signature and Seal of the Authorised Signatory	
Seal/Stamp of the Applicant	
Place	
Date (dd/mm/yy)	

*Please strike whichever is not applicable.

Declaration for Net Tangible Assets
{Refer Reg 6(2)(c)}

This is to certify that I, [Name of the applicant], hereby affirm that I possess minimum tangible net assets of rupees one lakh, as on last day of immediately preceding quarter as per the stipulated requirement outlined in regulation 6(2)(c) of the PFRDA (Retirement Advisers) Regulations, 2016 and subsequent amendments thereof.

Name of the applicant	
Signature of the Applicant	
Place	
Date (dd/mm/yy)	

DECLARATION

THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY THE APPLICANT:

1. I hereby agree and declare that the information furnished in the application, including the attachment sheets, is complete and true. AND
2. I further agree that, I shall notify the Authority immediately within seven (7) days of any change in the information provided in the application.
3. I further agree that I shall comply with, and be bound by the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and the rules and regulations made thereunder including the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Advisers) Regulations, 2016, and any guidelines, circulars, notifications, directions and instructions as may be issued by the Authority from time to time.
4. I further agree that as a condition of registration, I shall abide by such operational instructions/directives as may be issued by the Authority from time to time.
5. I hereby, agree and declare for keeping necessary infrastructure for effective discharge of the activities as a Retirement Adviser.
6. I hereby, agree and declare that I will not obtain any consideration by way of remuneration or compensation or any other form whatsoever, from any person other than the subscriber being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided to the subscriber.
7. I hereby, declare that I will always ensure to fulfil qualification and other requirements under regulation 7 and 'fit and proper person' criteria as specified in Fifth Schedule.
8. I/We further declare that I/We shall always abide by the Code of Conduct as referred in Third Schedule Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Advisers) Regulations, 2016, and amendment thereon.

Signature of the applicant

(Name of the applicant)

Place:

Date:

General Information

FEES (Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 [Regulation 9])

1.	Every individual applicant shall pay non-refundable Application fees of Rs. 500/- (Five Hundred Rupees Only) along with applicable taxes and levies thereon, along with the application for grant or renewal of certificate of registration.
2.	Applicants which are individuals shall pay a sum of Rs. 1000/- (One Thousand Rupees Only) along with applicable taxes and levies thereon as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Authority.
3.	The fee referred to in point 2 shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Authority by a demand draft/ online mode in favour of 'PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY' payable at New Delhi or as specified by the Authority from time to time.
4.	The quantum of fee under this schedule may be revised by the Authority from time to time by issuing appropriate circulars, directions or notifications. The Applicant shall be required to pay the applicable fee as notified by the authority.